प्रपत्र–2

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय नालंदा (बिहारशरीफ)

पत्रांक –BEP/SSA-RTE/PVT School/1122/2011/Part-II-2012/- 1205 दिनांक 01.07.14

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

Mother Teresha High School , Giriyak

विषय :–बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन और उसके क्रम में विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय Mother Teresha High School , Giriyak को कक्षा I से V/VIII तक संचालन हेतु प्रस्वीकृति तिथि से तीन वर्षो की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है–

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तों के अनुपालन के अधीन होगी:–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से– उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन का विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:–
   - (क) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा मे रोककर नहीं रखा जाएगा और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   - (ख) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
   - (ग) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   - (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - (ङ) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
   - (च) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान मे कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यून्तम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यून्तम योग्यता प्राप्त कर लेगें।
   - (छ) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगें।
   - (ज) शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण –गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

PTO

K Singh 30/6/14

8 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः–

विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल.	1250 Sq Ft
कुल निर्मित क्षेत्र.	
खेल के मैदान का क्षेत्र.	
वर्गकक्षों की कुल संख्या.	17
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष.	1
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय.	Yes
पेयजल की सुविधा.	Yes
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर.	No
बाधारहित पहुँच.	No
शिक्षण अधिगम सामाग्री / खेल–कूद उपकरण / पुस्तकालय.	yes

11 कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13 विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय मे लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15 लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा ओर निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।

16 आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 20140070 /2014 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाए।

17 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यकम पदाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी ओर राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18 यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19 विद्यालय भवन / आपदा सुरक्षा , निःशक्त बच्चों हेतु बाधामुक्त व्यवस्था ,रसोईघर एवं बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) में शेष निर्धारित मापदंडों को प्रस्वीकृति के एक वर्ष के अन्दर पुरा करेगा एवं संसूचित करेगा।

20 अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

21 किसी भी समय संशय / अस्पष्टता / भ्रम की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम होगा जो विद्यालय को मान्य होगा।

K Singh 30/6/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान–सह–सचिव
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति नालंदा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय
नालन्दा

प्रपत्र–2 बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय नालंदा (बिहारशरीफ)

पत्रांक - SSA/1872 दिनांक 08-11-2018

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

MOTHER TERESSA HIGH SCHOOL, GIRIYAK

विषय– बच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के अधिनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति नवीनीकरण का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र और उसके क्रम में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आलोक में आपके विद्यालय MOTHER TERESSA HIGH SCHOOL, GIRIYAK को कक्षा I से V/VIII कक्षा तक संचालन हेतु सत्र 2019–2020 तक के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति अवधि विस्तार की जाती है।

प्रदत प्रस्वीकृति निम्न–शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी।

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगें।
03. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पडोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेंगें तथा उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगें, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
04. कंडिका 3 में उद्धत बच्चों के मामले में आपके विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेंगें।
05. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नही प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
06. विद्यालय, किसी बच्चे के नामांकन लेने से उसके उम्र प्रमाण पत्र तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के अधार पर इनकार नही कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चत किए जाएँगे।
    i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकने अथवा उतीर्ण करने के संबंध में समय समय पर बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली में किये जाने वाले संशोधन एवं तदअनुरूप दिये गए निदेंशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
    ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नही दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा।
    iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नही होगी।
    iv. प्रारंभिक परीक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
    v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग / निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।

3

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की अवधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा ।

vii. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नही होंगे।

08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेंगा।

09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपालिक रूप से छात्रों का नामांकरण करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।

11. कोई भी अप्रस्वीकार्य कक्ष विद्यालय परिसर में या विद्यालय के बाहर, विद्यालय के नाम से संचालित नही होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माघ्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समुह अथवा व्यक्तियों के संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा अभियान को भेजा जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 20140070/2014 एवं यू–डायस कोड 10270700402 है । इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अनिवार्य रूप से अंकित एवं उद्धत किया जाए।

17. विभाग के द्वारा समय–समय पर मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लागातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा अनुदेशो का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. आपके विद्यालय का औपबंधिक अवधि विस्तार करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा कोई गलत सूचना/अभिलेख दिया गया है, तो विद्यालयों की प्रस्वीकृति रद्द करते हुए उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

ज्ञापांक– SSA/1872 /बिहारशरीफ दिनांक 08-11-2018

प्रतिलिपि– श्री बृजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, नालन्दा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, नालन्दा /एम0आई0एस0, प्रभारी, एस0एस0ए0, नालन्दा/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला–नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

(3)

Additional D.P.C.
SSA, Nalanda